

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 21.07.2023

**::आज्ञा::**


विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित अधिकारियों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	राजेन्द्र कुमार वरिष्ठ विधि अधिकारी	जिला परिषद, श्रीगंगानगर	राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य भर्ती 2023 की परीक्षा
2.	पूजा वरिष्ठ विधि अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर	राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य भर्ती 2023 की परीक्षा
3.	योगिता मीना कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा	RPSC Assistant Professor, 2023
4.	जयदीप सिंह देवड़ा कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय खनि अभियन्ता (रिट्स) जोधपुर	राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य भर्ती 2023 की परीक्षा
5.	महेश कुमार मीना कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी आयुक्तालय, विशेष योग्यजन, जयपुर	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य तथा RAS-2023

**शर्त:-**


1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त अधिकारी वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

आज्ञा से,

  
(आशुतोष कुमावत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव